

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी, जिला जयपुर

न्याय आपके द्वार राजस्व लोक अदालत फोलोअप कैम्प कोर्ट फागी

शिविर प्रणारी अधिकारी : श्री सावन कुमार चायल, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या: 33/2015

दर्ज दिनांक: 19/03/2015

निर्णय दिनांक : 30/06/2018

रामबाबू सांखला पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति माली निवासी: 5-वी-2, गोरधन कॉलोनी, न्यू सांगानेर रोड, सोडाला, जयपुर।

---वादी

बनाम

1. रामा देवी धर्मपत्नि स्व. सूज्या
2. रामस्वरूप पुत्र स्व. सूजा
3. काना पुत्र स्व. सूजा
4. बदरी पुत्र स्व. सूजा

समस्त जातियान: जाट निवासीयान: नथमलपुरा, तहसील फागी, जिला जयपुर।

5. तहसीलदार फागी, तहसील फागी, जिला जयपुर।
6. नायब तहसीलदार/उप-पंजीयन माधोराजपुरा उप तहसील माधोराजपुरा तहसील फागी, जिला जयपुर।
7. भूपेश कुमार माथुर पुत्र एस.के.माथुर जाति कायस्थ निवासी: 85, नियर एस.एम.एस. हास्पिटल, सवाईरामसिंह रोड, जयपुर जिला जयपुर।
8. सुरेन्द्र कुमार सोगानी पुत्र स्व. मोतीलाल सोगानी जाति जैन निवासी: ए-12, 80 फीट रोड, महेश नगर, जयपुर।
9. अनिल मेहता पुत्र स्व. रामलाल शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी: 44, पंचौली विहार, न्यू सांगानेर रोड, जयपुर।



उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)

10. प्रतीक कोटयारी पुत्र आर.एम. कोटयारी जाति जैन निवासी: एस-23, भवानी सिंह लेन, सी-स्कीम, जयपुर।
11. अमित कुमार चौधरी पुत्र प्रतापसिंह चौधरी जाति जैन निवासी: मकान नंबर 93/82, मानसरोवर, जयपुर।

वाद बाबत तकासमा व स्थायी निषेधाज्ञा

-: निर्णय :-

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि उपरोक्त उनवानी प्रकरण को न्यायालय द्वारा दिनांक 18/09/2015 को इस आशय का प्राथमिक डिक्री किया गया था कि " अतः वादी का वाद प्राथमिक डिक्री किया जाकर वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 2245, 2246, 2247 किता 3 रकबा 14.07 बीघा, खसरा नंबर 2241 रकबा 5.17 बीघा, खसरा नंबर 2244 रकबा 6.15 बीघा, खसरा नंबर 2240 रकबा 2.15 बीघा ग्राम माधोराजपुरा, तहसील फागी, जिला जयपुर स्थित आराजी का पक्षकारान के दर्ज हिस्से व कब्जे अनुसार बाई मीट्स एण्ड बोण्ड्स के आधार पर तकासमा करने के आदेश दिये जाते हैं। नक्शे कुरैजात दो-दो प्रतियों में भिजवाने हेतु तहसीलदार फागी को आदेश दिये जाते हैं ।



दिनांक 07.05.2018 को तहसीलदार फागी से नक्शे कुरैजात प्राप्त हुये, शामिल पत्रावली किये गये।

पत्रावली कैम्प कोर्ट में प्रस्तुत हुई।

पक्षकारान को सुना गया। नक्शे कुरैजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। नक्शे कुरैजात प्राथमिक डिक्री निर्णयानुसार प्राप्त हुये। वकील पक्षकारान द्वारा प्राप्त नक्शे कुरैजात के अनुसार वाद को डिक्री किये जाने का निवेदन किया गया।

बाद अवलोकन तहसीलदार फागी से प्राप्त नक्शे कुरैजात को सही पाया जाकर वादी वाद गुताबिक नक्शे कुरैजात अंतिम रूप से डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वादी वाद मुताबिक नक्शे कुरैजात अंतिम रूप से डिक्री किया जाकर वादग्रस्त आराजीयात स्थित ग्राम माधोराजपुरा, तहसील फागी,

अधिकारी
जयपुर

जिला जयपुर का तकारामा किया जाकर खाता निम्नानुसार अलहदा-अलहदा किया जाता है :-

क्र. सं.	खातेदार का नाम	खसरा नंबर	रकबा
1.	रामबाबू सांखला पुत्र लक्ष्मीनारायण सांखला कौम माली सा. प्लॉट नं. 5 बी-2, गोस्धन नगर, न्यू सांगानेर रोड, सोडाला, वार्ड नं. 17	2240/1	1.02
		2241/1	5.10
		2244/1	3.07
		2245/2	3.06
		2246/2	3.00
		2247/2	2.00
		6	18.05
2.	अमित कुमार चौधरी पु. प्रताप सिंह जाति जैन नि. म.नं. 93/82, मानसरोवर हि. 80/229, प्रतीक कोठारी पु. आर.एम. कोठारी जैन नि. एस-23 भवानी सिंह लेन रोड, जयपुर हि. 80/229, भूपेश कुमार माथुर पु. एस.के. माथुर जाति कायस्थ नि. 85 नियर एस.एम.एस हॉस्पिटल सवाई रामसिंह रोड, जयपुर, सुरेन्द्र कुमार सोगानी पु. मोतीलाल सोगानी जाति जैन नि. ए-12, 80 फीट रोड, महेश नगर जयपुर, अनिल मेहता पु. रामलाल शर्मा जाति ब्राहमण 43, पंचोली विहार, न्यू सांगानेर रोड, जयपुर हि. 69/229	2240/2	1.13
		2241/2	0.05
		2241/3	0.02
		2244/2	3.08
		2245/1	0.16
		2246/1	1.00
		2247/1	4.05
		7	11.09

तहसीलदार फागी को निर्देशित किया जाता है कि वह निर्णयानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अगल दरामद करे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना स्वयं वहन करें। पर्या डिक्री जारी हो। पत्रावली फैराल शुमार होकर नंबर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 30/06/2018 को राजस्व लोक अदालत फोलोअप कैम्प कोर्ट फागी में सुनाया गया।



Handwritten signature and official stamp of the District Collector, Jaipur. The stamp text includes 'उपखण्ड अधिकारी, फागी' (Sub-District Officer, Fagi) and 'जयपुर' (Jaipur).